न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12 / 148 / 2017

अपीलार्थीः—

श्री बाबूलाल सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी, जाति माली निवासी मकान नं0 491 ग्रामीण बैंक के पास अलवर रोड थानागाजी, जिला अलवर।

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 12—12—2017

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 18.08.2017 के माध्यम से पूर्व में जिला कलक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.17 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.11.17 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2134 दिनांक 23.11.17 के माध्यम से जबाव नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत करया है कि उक्त प्रा0पत्र दिनांक 18.08.17 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 1738 दिनांक 27.9.17 से चाही गई सूचना के बिन्दू सं0 1,2,4 अन्य विभागों से सम्बन्धित होने से सम्बन्धित विभाग से लेने हेतु सूचित किया एवं बिन्दू संख्या 3,5 की सूचना दी जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचना उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। अतः अपील अपीलार्थी निरसत करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12/12/17

(राजन विशाल)

जिला कलेक्टर,अलवर